न्यायालय सत्र न्यायाधीश, भदोही–ज्ञानपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–189 सन् 2020

सी0 एन 0 आर 0 नं0–यू0 पी0 एस 0 नं0–100594–2020

उत्कर्ष उम्र त 0 21 वर्ष पुत्र ज्ञानेश्वर शंकर निवासी बालीपुर थाना ज्ञानपुर जिला भदोही। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या–78 सन् 2020

धारा–504, 332 भारतीय दण्ड संहिता,

थाना–ज्ञानपुर, जिला भदोही।

प्रार्थी/अभियुक्त उत्कर्ष की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–78 सन् 2020 धारा 504, 332 भारतीय दण्ड संहिता थाना ज्ञानपुर जिला भदोही के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उप निरीक्षक अरविन्द कुमार सिंह थाना ज्ञानपुर हमराही कर्मचारियों के साथ दिनांक 10.05.2020 को कस्बा ज्ञानपुर में लाक डाउन के मद्देनजर रखते हुये शान्ति व्यवस्था व आम जनता में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराते हुये पाल तिराहे से के0 एन 0 पी0 जी0 कालेज ज्ञानपुर के सामने समय करीब 8.35 बजे पहुचकर सब्जी की ठेलियां पर काफी लोगो की भीड़ देखकर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने हेतु चला रहे थे कि उसी समय मोटरसाईकिल नम्बर–यू0 पी066 क्यू 2548 होण्डा पर तीन तीन व्यक्ति तेजी से पीछे से आये और पुलिस वालों को देखकर मादर चोद, बहन चोद पुलिस वाले काफी परेशान कर रहे है, कहते हुये भागना चाहे कि उनकी मोटरसाईकिल हमराही कर्मचारी की मदद से तुरन्त रोक लिया गया, जिस पर से पीछे बैठे दो व्यक्ति कूदकर भाग गये। मोटरसाईकिल चालक को मोटरसाईकिल सहित पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया, तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मनु पाण्डेय बताया तथा भागने वालो का नाम शिवम पाण्डेय तथा दुसरे का उत्कर्ष दूबे

बताया। इनके द्वारा आन ड्युटी सरकारी कर्मचारी पुलिस कर्मियों को गाली गुप्ता देते हुये सरकारी कार्य में बाधा पहुचाया गया। पकड़े गये व्यक्ति से वाहन का कागजात मांगा गया , तो नहीं दिखा सकें , इसलिये मोटरसाईकिल नम्बर–यू0 पी066 क्यू 2548 को अन्तर्गत धारा 207 एम 0 वी0 एक्ट में सीज किया गया। पकड़े गये व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किया जाय।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आधार जमानत व तर्क में यह बताया है कि उसके विरूद्व पुलिस द्वारा साजिशन फर्जी तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी है। कथित घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे फर्जी तरीके से फसाया गया हैं। उसने न ही पुलिस को किसी भी प्रकार से गाली गुप्ता ही दिया और न ही किसी तरह से सरकारी कार्य में बाधा पहुचाई है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। पुलिस उसे परेशान कर रहीं है। अतः अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

पक्षकार अधिवक्ताओ को सुना गया। इस मुकदमें में आरोप पत्र आज प्राप्त हुआ है। उक्त में अभियुक्त के विरूद्व आरोपित धारा 332 भा0 दं0 वि0 को विवेचना में विलोपित कर दिया गया है। अतः ऐसे में अब अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप धारा 504 भा0 दं0 वि0 एक जमानती अपराध की धारा है। इन परिस्थितियों में यह अग्रिम जमानत निष्प्रयोज्य हो गया।

(अनिल कुमार),
सत्र न्यायाधीश,
भदोही–ज्ञानपुर।

दिनांक 21.05.2020 ई 0